न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट, संख्या-३,(गैगेस्टर एक्ट)
फतेहपुर ।

उपस्थितः **मनराज सिंह** -------एच०जे०एस०

विशेष सत्र परीक्षण सं० - **२७ सन् २०१७**

उ० प्र० राज्य प्रति आदित्य नरायन आदि ।

अपराध सं०-२४९ /२०१६

धारा- २/३ उ० प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम ।

थाना-मलवॉ, जनपद- फतेहपुर ।

आरोप

मै मनराज सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-३, फतेहपुर आप अभियुक्तगण आदित्य नरायन, संदीप बाजपेयी उर्फ काके, शैलेन्द्र उर्फ शानू, चन्दन व छोटू पर निम्न लिखित आरोप लगाता हूँ-

यह कि आपका एक संगठित गिरोह है। आप अभियुक्तगण स्वयं का एक संगिठत गिरोह है, स्वयं व अपने साथियों के व अन्य पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए थाना क्षेत्र व जनपद के विभिन्न थानों पर भा०दं०वि० के अध्याय १६, १७,२२ के अधीन दण्डनीय अपरारध कारित करते है। इस प्रकार आप लोगो द्वारा जन सामान्य में भय आतंक एवं दहशत का वातावरण बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त किया है। इस प्रकार आप द्वारा कारित किए गए निम्न समाज विरोधी क्रिया कलाप में संलिप्तता का विवरण गैंग चार्ट के अनुसार निम्नलिखित है-

आदित्य नरायन

१- मुकदमा अपराध संख्या ११६/०१६, धारा १४७,१४८,१४९, ४५२, ३०७,३०२ भारतीय दण्ड विधान ।

२- मुकदमा अपराध संख्या ११७/०१६, धारा ३/२५ आयुध अधिनियम।

संदीप बाजपेयी उर्फ काके

१- मुकदमा अपराध संख्या ११६/०१६, धारा १४७,१४८,१४९, ४५२, ३०७,३०२ भारतीय दण्ड विधान ।

२- मुकदमा अपराध संख्या १४१/०१६, धारा ३/२५ आयुध अधिनियम।

शैलेन्द्र उर्फ शानू

१- मुकदमा अपराध संख्या ११६/०१६, धारा १४७,१४८,१४९, ४५२, ३०७,३०२ भारतीय दण्ड विधान ।

२- मुकदमा अपराध संख्या १४०/०१६, धारा ३/२५ आयुध अधिनियम।

चन्दन

१- मुकदमा अपराध संख्या ११६/०१६, धारा १४७,१४८,१४९, ४५२, ३०७,३०२ भारतीय दण्ड विधान ।

२- मुकदमा अपराध संख्या १६४/०१६, धारा ३/२५ आयुध अधिनियम।

छोटू

१- मुकदमा अपराध संख्या ११६/०१६, धारा १४७,१४८,१४९, ४५२, ३०७,३०२ भारतीय दण्ड विधान ।

२- मुकदमा अपराध संख्या १८५/०१६, धारा ३/२५ आयुध अधिनियम।

इस प्रकार आप लोगों द्वारा कारित उपरोक्त कृत्य उ० प्र० गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम की धारा २/३ के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

मै एतद द्वारा निर्देशित करता हूँ कि उक्त आरोप के लिए आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनांकः- २५.०७.२०१७

(मनराज सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-३ (गैगेस्टर एक्ट)
फतेहपुर ।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

दिनांकः- २५.०७.२०१७

(मनराज सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-३ (गैगेस्टर एक्ट)
फतेहपुर ।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट, संख्या-३,(गैगेस्टर एक्ट)
फतेहपुर ।

विशेष सत्र परीक्षण सं० - **२७ सन् २०१७**

उ० प्र० राज्य प्रति आदित्य नरायन आदि ।

अपराध सं०-२४९ /२०१६
धारा- २/३ उ० प्र० गिरोहबंद एवं
समाज विरोधी क्रिया कलाप
(निवारण) अधिनियम ।
थाना-मलवॉ, जनपद- फतेहपुर ।

२५.०७.२०१७

आदेश

मैने आरोप के विन्दु पर राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा विवेचक द्वारा एकत्रित साक्ष्य का परिशीलन किया। केस डायरी के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह विदित होता है कि आपके गिरोह में अभियुक्तगण गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करके अपनो को नाजायज आर्थित एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उददेश्य से सामूहिक रूप से हिन्सा की धमकी कारित करते हुए भा० दं० सं० वि० कें अध्याय १६,१७,२२ के अधीन दण्डनीय अपरारध कारित करते है। इस प्रकार आप लोगो द्वारा जन सामान्य में भय आतंक एवं दहशत का वातावरण बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त किया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया आरोप अन्तर्गत धारा २/३ उ० प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम विरचित करने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त आरोप विरचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को आरोप पढ कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक २२.०८.२०१७ को पेश हो। अभियोजन साक्षी तलब किए जाये।

दिनांकः- २५.०७.२०१७

(मनराज सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-३ (गैगेस्टर एक्ट)
फतेहपुर ।